



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240804
CG-DL-E-05122022-240804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944

No. 298]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सं. 39/2015-2020

विषय: पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) की वैधता को बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/53/8/एम20/पीएसआईए-2/आईसी.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक-2015-20 के पैरा 2.55 (घ) में यथा उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार छूट को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:-

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्टि एवं आयात-निर्यात पत्र (ए एंड एनएफ) के परिशिष्टि 2छ में शामिल पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता जो दिनांक 03.12.2012 को उनकी तीन वर्ष की मूल अवधि पूरी कर रही है को दिनांक 31.12.2022 तक बढ़ाया जाता है।

2. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: परिशिष्टि एवं आयात-निर्यात पत्र (ए एंड एनएफ) के परिशिष्टि 2छ में यथा सूचीबद्ध पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) की वैधता दिनांक 03.12.2022 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2022 की गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th November, 2022

No. 39 /2015-2020**Subject: Extension of validity of Pre-Shipment Inspection Agency (PSIAs) –reg.**

F. No. 01/53/8/AM20/PSIA-2/IC .—In exercise of powers conferred under the paragraph 1.03 read with paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Director General of Foreign Trade in relaxation of the provision as in Para 2.55 (d) of Handbook of Procedures, 2015-20 notifies as under :-

The validity of recognition of the Pre-Shipment Inspection Agency (PSIAs) included in Appendix 2G of Appendices and Aayat Niryat Forms (A & ANF) of Foreign Trade Policy 2015-20 which are completing their original tenure of three years as on 03.12.2022 is extended upto 31.12.2022.

2. Effects of this public notice: Validity of Pre-Shipment Inspection Agency (PSIAs) as listed in the Appendix 2G of A&ANF, has been extended from 03.12.2022 to 31.12.2022.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director Gen. of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.